



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)



कादर नवाज़ खान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-255686

ई-मेल/E-mail: registrar.mgahv@gmail.com

पत्रांक: 006/स्था./कोविड-19/2020/09/1117
दिनांक : 09 सितंबर, 2021

आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विश्वविद्यालय द्वारा समिश्र पद्धति (Blended Mode) में आयोजित हो रही संगोष्ठियों, अकादमिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों में अधिकांश लोग बिना फेस मास्क एवं सामाजिक दूरी बनाए बिना कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, जो कि कोविड-19 विषाणु से सुरक्षा हेतु बनाए गए प्रोटोकॉल का उल्लंघन है।

उपर्युक्त के आलोक में यह अत्यंत आवश्यक है कि समिश्र पद्धति (Blended Mode) में संचालित होने वाली समस्त अकादमिक गतिविधियों में सम्मिलित होने वाला प्रत्येक सदस्य कोविड-19 विषाणु से सुरक्षा हेतु बनाए गए प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें।

सक्षम आदेश सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जा रहा है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ खान)
09/09/21

प्रति (ई-मेल द्वारा) : समस्त शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी।

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति (द्वय) कार्यालय
3. समस्त अधिष्ठाता, विभाग अध्यक्ष/प्रमुख, केंद्र निदेशक, क्षेत्रीय केंद्रों के अकादेमिक निदेशक/प्रभारी
4. कुलसचिव कार्यालय
5. लीला- विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु